

## पीएम स्वनधि योजना की अवधि बढ़ाई गई

### प्रलिस के लयः

पीएम स्वनधि योजना, स्वनधि से समृद्धि, आत्मनरिभर भारत अभयान, आर्थकि प्रोत्साहन-II

### मेन्स के लयः

सूक्ष्म वतित, इसका महत्त्व और संबधति पहल ।

## चर्चा में क्यों?

[प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनरिभर नधि \(पीएम स्वनधि\) योजना](#) की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है ।

## वसितारति योजना के लयि प्रावधानः

- दसिंबर 2024 तक ऋण अवधि का वसितार ।
- क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा **₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत** ।
- देश भर में **पीएम स्वनधि योजना** के सभी लाभार्थियों के लयि **'स्वनधि से समृद्धि'** घटक का वसितार ।
  - स्वनधि से समृद्धि को जनवरी, 2021 में 'पीएम स्वनधि' लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजकि-आर्थकि प्रोफाइल को चहिणति करने हेतु लॉन्च कयिा गया था ।

## पीएम स्वनधि योजनाः

- परचियः**
  - प्रधानमंत्री **स्ट्रीट वेंडर आत्मनरिभर नधि (पीएम स्वनधि)** को [आत्मनरिभर भारत अभयान](#) के तहत **आर्थकि प्रोत्साहन-II** के एक हसिसे के रूप में घोषति कयिा गया था ।
  - इसे **1 जून, 2020** से लागू कयिा गया था, ताकडिन **स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीवकि को फरि से शुरू करने के लयि कफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कयिा जा सके**, जो **कोवडि-19 लॉकडाउन** के कारण प्रतकिल रूप से प्रभावति हुए हैं ।
    - अब तक कुल **13,403 वेंडगि ज़ोन की पहचान की जा चुकी है** ।
    - दसिंबर, 2024 तक **42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को पीएम स्वनधि योजना के तहत लाभ प्रदान कयिा जाना है ।
- वतितपोषणः**
  - यह एक **केंद्रीय कषेत्र की योजना है** अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वतित पोषति योजना है, इसके नमिनलखिति उद्देश्य हैं :
    - कार्यशील पूंजी ऋण की सुवधि उपलब्ध कराना**
    - नयिमति पुनर्भुगतान को प्रोत्साहति करना तथा**
    - डजिटिल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना**
- महत्त्वः**
  - यह योजना **स्ट्रीट वेंडर्स के लयि आर्थकि वकिस के नए अवसर प्रदान करेगी** ।
- पात्रताः**
  - राज्य और केंद्र शासति प्रदेशः**
    - यह योजना **केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासति प्रदेशों के लाभार्थियों के लयि उपलब्ध है**, जनिहोंने **स्ट्रीट वेंडर्स (आजीवकि का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडगि का वनियमन) अधनियम, 2014** के तहत नयिम और योजना अधसिचति की है ।
      - हालाँकभिघालय के लाभार्थी जसिका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है ।**
- स्ट्रीट वेंडर्सः**

- यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
  - इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

**प्रश्न:** क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

**स्रोत:** पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-svanidhi-scheme-extended>

